(6

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : आर.के. मिश्रा.
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 5175–दो/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–3–2016 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प, सतना जिला सतना प्रकरण कमांक 45/बी–103/2014–15.

मेसर्स जय प्रकाश एसो0 लिमि0 जे0पी0 नगर
नौवास्ता रीवा द्वारा सतेन्द्र प्रताप सिंह
पावर आफ एटार्नी होल्डर जय प्रकाश एसो0 लिमि0
जे0पी0 नगर नौवास्ता रीवा जिला रीवा म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा
उप पंजीयक रामपुर बाघेलान जिला सतना
2– म0प्र0 शासन द्वारा खनिज अधिकारी सतना जिला सतना

.... अनावेदकगण

श्री प्रमोद मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 28/01/2019 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 (4) के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प, सतना जिला सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक मै0 जे0पी0 नगर नौवास्ता द्वारा मौज जनार्दनपुर तहसील रामपुर बाघेलान स्थिर रकवा 135.435 हे0 पर स्वीकृत चूनापत्थर खनिजपट्टा के निष्पादित अनुबंध दिनांक 09–10–2014 में स्वीकृत माईनिगलीज 30 वर्ष के लिए निष्पादन किया जाकर पश्नाधीन दस्तावेज उप पंजीयक रामपुर बाघेलान के समक्ष 500/– के स्टाम्प शुल्क दस्तावेज में

चुकाया जाकर पंजी हेतु दिनांक 12–12–2014 को प्रस्तुत किया। उप पंजीकय द्वारा प्रश्नाधीन पट्टा विलेख में मुद्रांक शुल्क संगणना हेतु महानिरीक्षक पंजीयकन म0प्र0 भोपाल के परिपत्र कमांक 1164/ख.पट्टे/तक0/04 दिनांक 21–5–2004 के परिपालन में कलेक्टर आफ स्टाम्प को मुद्रांक अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क एवं अर्थदण्ड वसूली हेतु प्रेषित किया। कलेक्टर आफ स्टाम्प ने आवेदक को सूचना पत्र जारी किया तथा खनिज अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त करने एवं आवेदक से जबाव आदि प्राप्त करने के उपरांत आदेश दिनांक 29–3–2016 प्रश्नाधीन खनिज पट्टा विलेख पर कमी मुद्रांक शुल्क 16438712/– एवं अर्थदण्ड 50,00,000/– कुल राशि रूपये 21438712/– शाकीय कोष मे चालान से जमा करने के आदेश दिये। कलेक्टर आफ स्टाम्प सतना के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक मै0 जे0पी0 नगर नौवास्ता द्वारा प्रश्नाधीन खनिजपट्टा माईनिंगलीज 30 वर्ष के लिए निष्पादन किया जाकर प्रस्तुत किये जाकर उप पंजीकय द्वारा प्रश्नाधीन पट्टा विलेख मे मुद्रांक शुल्क संगणना हेतु महानिरीक्षक पंजीयकन म0प्र0 भोपाल के परिपत्र कमांक 1164/ख.पट्टे/तक0/04 दिनांक 21–5–2004 के परिपालन मे कलेक्टर आफ स्टाम्प को मुद्रांक अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क एवं अर्थदण्ड वसूली हेतु प्रेषित किया। कलेक्टर आफ स्टाम्प ने आवेदक को सूचना पत्र जारी किया तथा खनिज अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त करने एवं आवेदक से जबाव आदि प्राप्त किया। कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आवेदक कंपनी को जबाव एव सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत भारतीय स्टाम्प अधिनियम एव वाणिज्यक कर विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत आदेश दिनांक 29–3–2016 प्रश्नाधीन खनिज पट्टा विलेख पर कमी मुद्रांक शुल्क 16438712/– एवं अर्थदण्ड 50,00,000/– कुल राशि रूपये 21438712/–

शाकीय कोष में चालान से जमा करने के आदेश दिये। जहां तक आवेदक अभिभाषक के इस तर्क का प्रश्न है कि 30 वर्ष के रायल्टी के अनुमान की गणना करने के त्रुटि की गई है, मान्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार रायल्टी एवं डेडरेंट की गणना पृथक पृथक किया जाना प्रावधानित है। कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा कमी मुद्रांक शुल्क एवं अर्थदण्ड अधिरोपित करने मे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। आवेदक कलेक्टर आफ स्टाम्प के गणना में त्रुटि बतलाने में असफल रहे हैं। दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प, सतना जिला सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—3—2016 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है ।

28/01/2019

(आर0के0 मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर